भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 336
जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

उच्च न्यायालय में मामलों की सुनवाई में विलंब

336. श्री अरुण कुमार सागर :
श्री अशोक कुमार रावत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के कई उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या के कारण कई मामलों के विचारण/सुनवाई में विलंब हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ख) देश के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत और रिक्त पदों की संख्या का ब्यौरा क्या है और उन रिक्तियों को नहीं भरे जाने के क्या कारण हैं ;
(ग) क्या सरकार उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या में वृद्धि करने पर विचार कर रही है ; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ख) : न्यायालयों में मामलों का लंबन केवल उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी के कारण ही नहीं है, बल्कि कई अन्य कारकों, जैसे (i) राज्य और केंद्रीय विधानों की संख्या में बढ़ोत्तरी, (ii) प्रथम अपीलों का इकठ्ठा होने, (iii) कुछ उच्च न्यायालयों में साधारण सिविल अधिकारिता के जारी रहने, (iv) अर्द्ध न्यायिक फोरमों के आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालयों में अपीलें होने, (v) पुनर्रीक्षणों/अपीलों की संख्या, (vi) बारम्बार स्थगन, (vii) रिट अधिकारिता का अंधाधुंध प्रयोग, (viii) सुनवाई के लिए मामलों को मॉनिटर, निगरानी और इकठ्ठा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव, (ix) न्यायालयों की अवकाश अवधि, (x) न्यायाधीशों को प्रशासनिक प्रकृति का कार्य देने, आदि के कारण भी है ।

01.02.2023 को यथा विद्यमान, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 1108 के मुकाबले 775 न्यायाधीश कार्यरत है, न्यायाधीशों की 333 रिक्तियां भरी जानी हैं । वर्तमान में सरकार और उच्चतम न्यायालय कालेजियम के बीच 142 प्रस्ताव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं । उच्च न्यायालयों में बकाया 191 रिक्तियों के संबंध में उच्च न्यायालय कालेजियम से और सिफारिशें अभी प्राप्त होनी हैं । 01.02.2023 को यथा विद्यमान उच्च न्यायालयवार रिक्ति की स्थिति दर्शित करने वाला एक विवरण **उपाबंध** पर है ।

उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना एक निरंतर, एकीकृत और समन्वयकारी प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है,

न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, पदत्याग या उनके उन्नयन के कारण रिक्तियां होती रहती है । सरकार समयबद्ध रीति में त्वरित गति से रिक्तियों को भरने के लिए प्रतिबद्ध है ।

(ग) से (घ) : किसी उच्च न्यायालय की न्यायाधीश संख्या बढ़ाने के लिए, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के साथ-साथ राज्य सरकार की सहमति अपेक्षित है, क्योंकि उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, न्यायालय के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं तथा राज्य सरकार को अवसंरचनात्मक सुविधाओं, न्यायाधीशों के वेतन, आदि को प्रदान करना होता है । उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या (2014) में 906 से बढ़कर (2022) में 1108 हो गई है ।

***

उपाबंध

(01.02.2023 को यथा विद्यमान)

"उच्च न्यायालयों में मामलों की सुनवाई में विलंब" संबंधी लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 336 के भाग (क) और भाग (ख) में निर्दिष्ट, उच्च न्यायालयों में न्यायालयवार स्वीकृत, कार्यरत पदसंख्या और रिक्तियां दर्शित करने वाला, विवरण ।

क्र. सं.	उच्च न्यायालय	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या	रिक्तियां
1	इलाहाबाद	160	96	64
2	आंध्र प्रदेश	37	32	5
3	बंबई	94	65	29
4	कलकत्ता	72	54	18
5	छत्तीसगढ	22	14	8
6	दिल्ली	60	45	15
7	गुवाहाटी	24	23	1
8	गुजरात	52	26	26
9	हिमाचल प्रदेश	17	9	8
10	जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख	17	14	3
11	झारखंड	25	20	5
12	कर्नाटक	62	51	11
13	केरल	47	37	10
14	मध्य प्रदेश	53	31	22
15	मद्रास	75	52	23
16	मणिपुर	5	3	2
17	मेघालय	4	3	1
18	उड़ीसा	33	22	11
19	पटना	53	34	19
20	पंजाब और हरियाणा	85	66	19
21	राजस्थान	50	35	15
22	सिक्किम	3	3	0
23	तेलंगाना	42	32	10
24	त्रिपुरा	5	2	3
25	उत्तराखंड	11	6	5
योग		**1108**	**775**	**333**

****